कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

जिला /वनमण्डल डूंगरपुर में थाना मेवाडा (हिम्मतपुर) से गुजरात राज्य की सीमा तक 17/900 से 19/400 एवं 20/150 से 23/500 के मध्य सुदृडिकरण /विस्तार कार्य हेतु दिनांक 19.2.2015 को FP/RJ/ROAD/9317/2015 से 8.32 है0 का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है। संशोधित 12.508 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में पार्ट ।।एवं पार्ट ।।। की पूर्ती होने के प्श्चात प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्नानुसार वस्तुस्थिति सामने आयी है।

1. यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत की गई KML file में चेनऐज नही अंकित किये गये है एवं जूम करने पर फाइल फट जाती है अतः संशोधन कर फाइल पुनः अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।
2. प्रस्ताव में ग्राम सभा कार्यवाही विवरण संलग्न नही किये गये है इसके अलावा हार्ड प्रति में भी संलग्न नही किये गये है।
3. मुख्य वन संरक्षक द्वारा एक हार्ड प्रति प्रस्तुत की गई है जबकि दो हार्ड प्रति संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
4. पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 12 में प्रस्ताव के उलंघन की वर्तमान स्थिति अंकित नही की गई है।
5. पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 13 (।।।।) में प्रस्तुत की गई सी0ए0 भूमि पर वृक्षारोपण एवं संधारण की योजना इस कार्यालय द्वारा जारी की गई दरों के अनुरूप योजना नही है। संशोधित योजना संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
6. प्रस्ताव में एन0पी0वी0 योजना संलग्न नही की गई है।
7. उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव सशर्त (विभिन्न स्थानों पर अन्डरपास के निर्माण, रिटेनिंग वाल का निर्माण एवं डिमार्केशन हेतु लूज स्टोन वाल का निर्माण) अग्रेषित किया गया है। यूजर ऐजेन्सी, इन सभी पर अपनी भुगतान करने की सहमति का शपथ पत्र प्रस्तुत करे। उप वन संरक्षक अधिरोपित शर्तो की योजना मय लागत बनाई जाकर संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव में उपरोक्त सूचना ऑनलाइन प्राप्त की जानी है। अतः मुख्य वन संरक्षक उदयपुर को सूचना ऑनलाइन भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।